अंज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

मंदिर श्री महादेव मठवाला बनाम किशोर वगैरह

23.11.20 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01(केवियटकर्ता) को दिनांक 19.11.2020 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनने के अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक द्वारा राजस्व वाद पत्र में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत किया गया, जिस पर वादी/अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा इस बाबत आपत्ति दर्ज की गयी कि बहस अस्थायी निषेधाज्ञा सुनी जा चुकी हैं। जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का निस्तारण अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व किया जाना आवश्यक है। उक्त आपत्ति के निस्तारण को किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2020 को पारित आदेश की वैधता शून्य है। अप्रार्थी संख्या /प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में मंदिर की खातेदारी भूमि को पुजारी की विधिक हैसियत को स्वीकार किया गया है किसी भी प्रकार की विधि व तथ्य की आपत्ति नहीं की गई है केवल जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा में यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा खसरा नम्बर 111 में आबादी में हीं निर्माण कर रहा है इसके सम्बन्ध जॉच ग्राम पंचायत भामोलाव द्वारा की गई है उक्त कथन जवाब के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का स्वंय के नाम का या विधिक वारिसान के नाम का कोई दस्तावेज स्वामित्व सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि साबित करता हो कि उक्त निर्माण शुदा या निर्माण पट्टाशुदा भूमि पर या आबादी में किया जा रहा है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत एक भूमि विक्रय प्रमाण पत्र संख्या 17 (पट्टा संख्या 17) की रंगीन फोटो प्रति प्रस्तुत की गई उक्त पट्टे की फोटो प्रति को देखने से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भामोलाव द्वारा जारी ही नहीं किया गया है चूँकि उक्त पटटे में लम्बाई–चौड़ाई, अडोस–पडोस का कहीं हवाला ही नहीं है उक्त पट्टे की फोटो प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा अब्दुल हमीद के नाम जारी हुआ है। इसी प्रकार पट्टे में वर्णित रसीद संख्या 16 को भी या उसकी फोटो प्रति प्रस्तुत नहीं की गई इस प्रकार फर्द के साथ एक तहरीर दिनांक 12.11.1995 की अप्रार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें रामा द्वारा रंगलाल का कोई अपनी निजी भूमि को बेचान किया गया है उक्त तहरीर में कहीं हवाला या वर्णन नहीं है कि उक्त निजी भूमि आबादी में होकर अब्दुल हमीद की है केवल एक तहरीर को प्रस्तुत किया गया है जिसका खसरा नम्बर 111 से कोई वास्ता या सरोकार नही है केवल मात्र जमाबंदी को देखते हुए खसरा नम्बर 111 आबादी में रिकार्ड के आधार पर खसरा नम्बर 111 का जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा में उल्लेख कर दिया गया हैं। सरपंच, भामोलाव द्वारा दिनांक 08.09.2020 को उपखण्ड अधिकारी, अंराई के नाम उक्त राजस्व वाद को खारिज किये जाने बाबत् लैटर पैड पर पत्र लिखा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है जो कि न्यायोचित व विधि सम्मत ही नहीं है चुँकि जनप्रतिनिधि द्वारा न्यायिक कार्यो में हस्तक्षेप है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सरंपच के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 03.2.2012 को जरिये रसीद क्रमांक नम्बर 68 पट्टा बाबत् जारी की गई है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा तो कथन किया गया है कि उक्त भूमि पट्टाशुदा अब्दुल हमीद से क्रय की हुई इस प्रकार दूसरी बार नये पट्टा को जारी कराया जाना साबित करता है कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 01 के कब्जे आधिपत्य में खसर नम्बर 111 के स्वामित्व व आधिपत्य का कोई दस्तावेज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.2020 के पश्चात पुनः प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या 01 मंदिर की भूमि पर लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लगातार

किशनगढ़

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

198/2020/225 श्री मंदिर महादेव बनाम किशोर वगै.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	202010000198 श्री शिव पंवार श्री हेडरा रामचन्द्रानी - 1	

लगातार

अवैध निमार्ण जारी करके मौका स्थिति को परिवर्तित कर रखा है तथा वाद की विषय वस्तु को परिवर्तित कर रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर अपील में वर्णित मंदिर भूमि पर अवैध निर्माण नहीं करने हेतु यथास्थिति बनाये रखने तथा मौका स्थिति को परिवर्तित नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01(केवियटकर्ता) ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा दिनांक 24.08.2020 को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदत्त की थी का दिनांक 01.10.2020 को विस्तार नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 सपठित धारा 111, 128 राज.भू–राजस्व अधिनियम की लम्बित चली आ रही है। इस परिपेक्ष में प्रस्तुत अपील धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम ही मूलतः अवधारर्णीय नहीं है क्योंकि दिनांक 01.10.2020 का आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी में नहीं आता है तथा धारा 225 (1) राज.काश्तकारी अधिनियम के अधीन अपील अंतिम आदेश के विरूद्ध ही अवधारर्णीय रहती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मंदिर की भूमि पर अवैध निर्माण कर रहा हों। अपीलार्थी ने ना तो मान्नीय न्यायालय में एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मंदिर की भूमि पर भवन का निर्माण किया जा रहा हों। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का उपरोक्त निर्माण कई वर्षोधिक पुराना था जिस पर रेस्पोडेन्ट के नाम विद्युत सम्बन्ध घरेलू स्वीकृत श्रेणी का स्थापित है। वास्तविकता में रेस्पोडेन्ट का नाम नन्दकिशोर है। अपीलार्थी ने केवलमात्र इस वाद के जरिये स्वंय को मंदिर की सम्पत्ति खुर्द–बुर्द करने के बाबत् समुचित साक्ष्य बनाने के साथ साथ रेस्पोडेन्ट से व्यक्तिशः द्वेषता एवं अन्य अनर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रतिस्वरूप यह अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट का मकान खसरा नम्बर 111 गै.मु.आबादी की भूमि में है एवं गैर मु.आबादी की भूमि के स्वामी, मालिक पंचायत अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत होती है तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.06.2020 को इस बाबत् अनापत्ति पत्र भी जारी किया गया है। इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा कोई ऐसा प्रमाण, नाम चौक, सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह स्पष्ठ हो कि रेस्पोडेन्ट का निर्माण अपीलार्थी की तथाकथित मंदिर की भूमि में हों। विशेषतः ऐसी स्थिति मेंजब प्रत्यर्थी के मकान के लगती हुयी किसी भी दिशा में मंदिर की भूमि की भुजा नहीं आती है। मान्नीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई द्वारा दिनांक 24.08.2020 को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदत्त की थी का दिनांक 01.10.2020 को विस्तार नहीं किये जाने के कारण प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 सपठित धारा 111, 128 राज.भू–राजस्व अधिनियम की लम्बित चली आ रही है। इस परिपेक्ष में प्रस्तुत अपील धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम ही मूलतः अवधारर्णीय नहीं है क्योंकि दिनांक 01.10.2020 का आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी में नहीं आता है तथा धारा 225 (1) राज.काश्तकारी अधिनियम के अधीन अपील अंतिम आदेश के विरूद्ध ही अवधारर्णीय रहती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लगातार

किशनगढ़
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

158/2012295 श्री मंदिर महादेव बनाम किशोर आदि

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2012001918 श्री शिवा पंवार श्री दिनेश रामचन्दानी	
लगातार	212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है फिर भी न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 111, 128 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 का गुणावगुण पर शीघ्र निस्तारण करें। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करत हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 111, 128 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 का गुणावगुण पर शीघ्र निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। 23/11/2020 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	